पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई0 (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–25

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	539–557	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	179–181	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	39–43	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	03–04	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	83–89	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

05 जून, 2017 ई0

संख्या 932/XXXI(1)/2017/पदो0–30/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्न कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी,

(2) श्री सत्य प्रकाश,

(3) श्री बसन्त बल्लभ जोशी।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

05 जून, 2017 ई0

संख्या 933/XXXI(1)/2017/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुसचिव के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 7,600) के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) श्री जीवन सिंह,

(2) श्री सुधीर जोशी।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त उप सचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य एवं मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के पारित होने वाले निर्णयों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उपरोक्त अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 जून, 2017 ई0

संख्या 947/XXXI(1)/2017/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री बिरेन्द्र प्रसाद को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री बिरेन्द्र प्रसाद, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य/रिट याचिका संख्या 14/DB/2016, बिरेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन की जा रही है।

4. उक्त रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के पारित होने वाले निर्णयों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत श्री बिरेन्द्र प्रसाद की तैनाती आदेश पृथक से किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 जून, 2017 ई0

संख्या 948/XXXI(1)/2017/पदो0–12/14–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत सुश्री विजय अंजू भारती को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 6,600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सुश्री विजय अंजू भारती, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या 14/DB/2016, बिरेन्द्र प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य और मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. उक्त रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालयों के पारित होने वाले निर्णयों के क्रम में सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में प्रभावी समीक्षा अधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची दिनांक 24 अक्टूबर, 2011 में यदि कोई परिवर्तन/संशोधन किया जाता है, तो तद्नुसार संशोधित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. अनुसचिव के पद पर पदोन्नत सुश्री विजय अंजू भारती की तैनाती आदेश पृथक से किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 जून, 2017 ई0

संख्या 959/XXXI(1)/2017/पदो0–30/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री देवेन्द्र सिंह रावत को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र सिंह रावत, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन

के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री देवेन्द्र सिंह रावत की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

06 जून, 2017 ई0

संख्या 960/XXXI(1)/2017/पदो0–30/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री हरदीप चन्दोला को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी (पूर्व वेतनमान ₹ 15,600–39,100, ग्रेड वेतन ₹ 5,400) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री हरदीप चन्दोला, अनुभाग अधिकारी को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1997/2013 (एस/एस), धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2014, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270(एस0बी0)/2015, शैलेष कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, 271(एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, 272(एस0बी0)/2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, 273(एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274(एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य के अतिरिक्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0 में योजित स्पेशल अपील संख्या 31/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.05.2015 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 23254/2015, हरिशंकर तिवारी व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 08.09.2015 के परिपेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या 5828(एस/एस)/2015, डा0 किशोर टण्डन व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा विभिन्न मा0 न्यायालयों में योजित अन्य रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णयों के अधीन की जा रही है।

4. अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नत श्री हरदीप चन्दोला की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2

अधिसूचना

07 जून, 2017 ई0

संख्या 119/XIII(2)/2017–15(12)/2013–एतद्द्वारा "उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) की धारा 10 (1) (झ) (एक) से (पाँच) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अग्रसारित पदाधिकारियों/महानुभावों को उनके नाम के सम्मुख अंकित श्रेणियों में उत्तराखण्ड औद्योनिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार, पौड़ी गढ़वाल की प्रबन्ध परिषद् के सदस्य के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम व पता	श्रेणी
1	2	3
1.	डॉ0 अरविन्द शुक्ला, 174, राजपुर रोड, देहरादून	प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक
2.	श्री विजय सिंह जड़धारी, ग्राम जड़धार गाँव, पो0 नागणी, जिला टिहरी गढ़वाल	प्रगतिशील किसान
3.	डॉ0 कमल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड लाईव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून	पशुधन प्रजनक
4.	डॉ0 एम0 सी0 नौटियाल, पूर्व डीन, वानिकी महाविद्यालय, रानीचौरी, निवासी लेन नं0–4, नकरौंदा, देहरादून	जाने माने उद्योगपति या उत्पादक, जिन्हें कृषि विकास का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो
5.	सुश्री रंजना रावत, पुत्री श्री दरबान सिंह रावत, ग्राम भीरी, अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग	ग्रामीण प्रगति की पृष्ठभूमि वाली उल्लेखनीय महिला सामाजिक कार्यकर्ता

2. अधिनियम की धारा 10(4) के अधीन उक्त सदस्यों का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक का होगा।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

अधिसूचना / प्रकीर्ण

26 मई, 2017 ई0

संख्या 73 / XXVII(7)7 / 2017–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

(3) इस नियमावली में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" उल्लिखित है, उसके स्थान पर शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाय।

2. मूल नियमावली, 2006 के नियम–2(1) का संशोधन :

उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006, जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–2(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– (क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है, जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;	(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:– लेखा अधिकारी का तात्पर्य, समूह 'घ' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखे का अनुरक्षण करने वाला अधिकारी;

3. नियम–2(ग) (तीन) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–2 के खण्ड (ग) के प्रस्तर–(तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित अविवाहित भाई और बहिन।	(तीन) अभिदाता पर पूर्णतः आश्रित माता–पिता, अविवाहित भाई और बहिन।

4. नियम–13(2) (तीन) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–13(2) (तीन) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर, जिसे अभिदाता द्वारा रूढ़िगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के सम्बन्ध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के सम्बन्ध में उपगत करना हो।	(तीन) अभिदाता की परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि, जनेऊ संस्कार या अन्य धार्मिक एवं गृह कर्म के व्यय हेतु।

5. नियम–13(4) (एक) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–13(4) (एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा या	अभिदाता के छः मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।

6. नियम–16(1) (अ) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–16(1) (अ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियों, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात्:

7. नियम–16(1) (अ) (क) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–16(1) (अ) (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

निम्नलिखित मामलों में: (एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक, प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा और (दो) हाईस्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय, जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।	(एक) हाईस्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक, व्यवसायिक, चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य विशेषित पाठ्यक्रम में, अभिदाता या उस पर आश्रित परिवार के सदस्य की उच्चतर शिक्षा हेतु

8. नियम–16(1) (ब) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–16(1) (ब) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हुई हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत्त वेतन के सम्बन्ध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए अर्थात्:	अभिदाता द्वारा दस वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, दुपहिया अथवा चौपहिया वाहन के क्रय/व्यापक मरम्मत, कम्प्यूटर, लैपटॉप अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिये।

9. मूल नियमावली के नियम :

16(1) (ब) (एक) व (दो) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है :

10. नियम–16(1) (स) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–16(1) (स) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात्: (क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए, जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है; (ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए, भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए; (घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिए; (ङ) पैतृक गृह का पुनरूद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिए; (च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिए।	अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ, यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनांक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि में से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिए, अर्थात्: (क) भूमि/भवन/फ्लैट के क्रय/अर्जन अथवा पैतृक गृह अथवा स्वयं के मकान बनाने/ मरम्मत/ पुनरूद्धार के लिए अथवा उक्त हेतु लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिए।

11. नियम–17(1) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–17(1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिए प्रत्याहरण किया जा रहा है और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुए, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है;	नियम 16 में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि खाते में जमा धनराशि के दो तिहाई से अधिक नहीं होगी।

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ड) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।	

12. मूल नियमावली के नियम–17 की टिप्पणी–1, टिप्पणी–2(क), टिप्पणी–2(ख), टिप्पणी–2(ग) व टिप्पणी–4 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

13. मूल नियमावली के नियम–19 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

14. नियम–23 का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–23 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर समूह 'घ' के अभिदाताओं के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी और अन्य मामलों में विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा। (1) मृत्यु के मास के पूर्ववर्ती तीन वर्ष के दौरान ऐसे अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान अतिशेष किसी भी समय निम्नलिखित की सीमा से कम न हुआ हो– (क) ऐसे अभिदाता, जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 13,500 रुपये या अधिक हो, के मामले में 30,000 रुपये; (दो) ऐसा अभिदाता, जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 9,000 रुपये या अधिक किन्तु 13,500 रुपये से कम हो, के मामले में 27,000 रुपया; (तीन) ऐसा अभिदाता, जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का न्यूनतम 4,000 रुपये या इससे अधिक किन्तु 9,000 रुपये से कम हो, के मामले में 12,000 रुपया;	सेवा के दौरान अभिदाता की मृत्यु होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अथवा कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष, जो भी स्थिति हो, अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती 03 वर्ष के दौरान लेखे में औसत अतिशेष के बराबर अथवा ₹ 30,000 जो भी कम हो, अतिरिक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति देगा और आहरण और वितरण अधिकारी के द्वारा अभिदाता के जमाखाते में विद्यमान धनराशि पाने के लिए हकदार व्यक्ति को उसका तुरन्त संवितरण करने का प्रबन्ध करेगा।

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
(चार) (क) ऐसा अभिदाता, जिसने उपर्युक्त तीन वर्ष की अवधि के वृहत् भाग में ऐसा पद धारण किया हो, जिसके वेतनमान का अधिकतम 4,000 रुपये से कम हो, के मामले में 10,000 रुपया; (ख) इस नियम के अधीन देय अतिरिक्त धनराशि 30,000 रुपये से अधिक नहीं होगी; (ग) अभिदाता ने अपनी मृत्यु के समय कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	

15. नियम–24 के उपनियम (4) व (5) का संशोधन :

मूल नियमावली के नियम–24 के उपनियम (4) व (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

(4) किसी अभिदाता के मामले में, जो समूह "घ" का कर्मचारी है, लेखा अधिकारी प्ररूप–425(ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	(4) किसी अभिदाता के मामले में जो समूह "घ" का कर्मचारी है, लेखा अधिकारी प्ररूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।
(5) (क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425(क) में आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियाँ सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जाँच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा, जिससे की पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर	(5) (क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तृतीय अनुसूची के प्रारूप–425 में आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना विहित प्रपत्र चालू और पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट चार प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की तीन प्रतियाँ सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जो उनकी समुचित जाँच करके उन्हें एक मास के भीतर स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा, जिससे की पाने वाला अधिवर्षिता

स्तम्भ–1 *विद्यमान नियम*	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रस्तावित नियम*
भुगतान प्राप्त कर सके।	पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।
(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425(क) या 425 (ख) में आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जिससे के वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे कि पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।	(ख) स्वीकृर्ता प्राधिकारी प्ररूप 425 में आवेदन की प्रतीक्षा किए बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा, जिससे के वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी, महालेखाकार द्वारा जारी अध्यावधिक जी0पी0एफ0 वार्षिक लेखा पर्ची से लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा, जिससे के पाने वाला अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सके।

(नियम 24)

प्रारूप–425

सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

_____

_____

_____

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ। .....मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्याग–पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2. मैं अनुरोध करता/करती हूँ की मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में, मेरे जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाय। मेरे भविष्य निधि लेखा संख्या.....है तथा मेरा यूनिक इम्पलॉयमेंट कोड संख्या ..... है।

3. मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग–दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से या उपादान से न किया गया हो तो मैं ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूँगा/दूँगी।

भवदीय,

स्थान.....

दिनांक.....

(हस्ताक्षर)

नाम और पता

भाग–दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

सेवा में,

महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैं, सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ.....मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्याग–पत्र दे चुका/चुकी हूँ और त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। मैं दिनांक..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया/गयी हूँ।

2. मैं अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.....में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन–पत्र (उपर्युक्त भाग एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया गया है। मैं, एतद्द्वारा अनुरोध करता/करती हूँ के मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से करा दिया जाय।

भवदीय,

स्थान.....
दिनांक.....

(हस्ताक्षर)
नाम और पता

भाग–तीन

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप।

(नामांकितियों द्वारा या यदि कोई नामांकन ना हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने हेतु)

सेवा में,

.....

.....

(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

यह अनुरोध किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....के सामान्य भविष्य निधि लेखा में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने का प्रबन्ध किया जाय। आवश्यक विवरण नीचे दिये गये हैं:–

1. सरकारी सेवक का नाम.....
2. सरकारी सेवक द्वारा धृत पद.....
3. मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न कीजिए).....
4. मृत अभिदाता का भविष्य निधि लेखा संख्या.....तथा यूनिक इम्पलायमेंट कोड संख्या.....है।

5. अभिदाता के नियम–2 में यथा परिभाषित परिवार के सदस्यों का ब्यौराः–

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को आयु	अभिदाता की पुत्री या अभिदाता के मृत पुत्र की पुत्री के मामले में यह उल्लेखित करें कि वह अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को अविवाहित थी या विवाहित थी या विधवा थी
1	2	3	4	5

6. अभिदाता की मृत्यु के दिनांक को जीवित नामांकितियों का ब्यौरा, यदि नामांकन होः–

क्रम संख्या	नामांकिती का नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	नामांकिती का अंश	दावा का कारण, यदि नामांकित अभिदाता के परिवार का सदस्य न हो
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				

7. किसी अवयस्क की देय धनराशि के मामले में दावे का समर्थन यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंध–पत्र या संरक्षण प्रमाण–पत्र द्वारा किया जाना चाहिये।

8. यदि अभिदाता का कोई परिवार न हो और कोई नामांकन न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के नाम, जिनको भविष्य निधि की धनराशि देय हो (देय प्रोबेट–पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र आदि द्वारा समर्थित किया जायेगा)

क्रम संख्या	नाम	अभिदाता से सम्बन्ध	पता
1.			
2.			
3.			
4.			

9. भुगतान आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से/.....कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से वांछित है। इस सम्बन्ध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट, द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:–

(एक) वैयक्तिक पहचान के चिन्ह।

(दो) बाँये/दाँये हाथ के अंगुठे और अंगुलियों के निशान (अशिक्षित दावेदारों के मामले में)।

(तीन) नमूने के हस्ताक्षर, दो प्रतियों में (शिक्षित दावेदारों के मामले में)

10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि सामान्य भविष्य निधि पासबुक में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक किसी धनराशि का भुगतान मुझको/हम लोगों को किया गया हो और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन (भाग चार के अनुसार अनुमन्य) अवशिष्ट धनराशि के भुगतान से या उपादान से नहीं किया गया है। तो मैं/हम लोग सरकार को ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान करूँगा/करूँगी/करेंगे।

भवदीय,

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर,
पूरा नाम और पता

भाग–चार

मृत अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन–पत्र का प्रारूप

(नामांकितियों द्वारा यदि कोई नामांकन न हो तो अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए)

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), एक/दो,
उत्तरांचल, देहरादून।
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने, श्री/श्रीमती.....के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या.....में अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिए एक आवेदन–पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। एतद्द्वारा अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी.....कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाय।

स्थान.....
दिनांक.....

भवदीय,

(दावेदार/दावेदारों) के हस्ताक्षर,
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए)

1. श्री/श्रीमती ..... का भविष्य निधि लेखा संख्या.....हैं।

2. वह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी ..... मास के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्याग–पत्र दे दिया है और उसका त्याग–पत्र स्वीकार कर लिया गया है। उसे दिनांक.....के पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।

3. ₹.....की अन्तिम कटौती और अग्रिम की वापसी के लिए रुपये की वसूली उसके वेतन से.....कोषागार के.....वाउचर संख्या.....दिनांक..... से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न ₹.....की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची में सम्मिलित किया गया।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू वर्ष तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया है और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अनन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान उनके भविष्य निधि लेखा से प्रत्याहृत किये गये थे।

(क) अन्तिम प्रत्याहरण–

क्रम संख्या	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक
1.					
2.					
3.					
4.					

(ख) अस्थायी अग्रिम–

क्रम संख्या	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखाशीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई
1.						
2.						
3.						
4.						

5. दिनांक.....(वह दिनांक जब धनराशि देय हो चुकी हो) को उसकी सामान्य भविष्य निधि पास बुक में यथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक देय ब्याज और (बोनस यदि कोई हो) भी है, संलग्न परिकलन शीट के अनुसार..... ₹ (अंकों में).....रुपया (शब्दों में)..... है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत.....रुपया होता है।

6. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है। अतएव ..... (अंकों में).....रुपये (शब्दों में), जो अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष का 90 प्रतिशत है, का भुगतान..... अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों के नाम को करने की संस्तुति की जाती है।

या

सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित निम्नलिखित वसूलियाँ अभिदाता से की जाती हैं।

क्रम संख्या	वसूलियों का विवरण	धनराशि (₹)
1.		
2.		
3.		
4.		

ऊपर वर्णित वसूलियों के मद्दे ₹.....की धनराशि की कटौती करने के पश्चात् अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से..... (अभिदाता का यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो दावेदार/दावेदारों का नाम) को ₹..... (अंकों में) .....रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

7. अभिदाता की मृत्यु दिनांक.....को हुई। मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है।

8. परिकलन शीट (तीन प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन–पत्र सहित..... को अग्रसारित।

दिनांक..... आहरण एवं वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1. प्रमाणित किया जाता है कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जाँच कर ली है, जो सही है।

2. ₹..... (अंकों में).....रुपये (शब्दों में) के

3. .....(स्वीकृति प्राधिकारी) को अग्रसारित।

दिनांक..... जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिए

1. .....(अभिदाता का, यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को.....₹..... (अंकों में)..... रुपये (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन–पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य भविष्य निधि पासबुक महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को अग्रसारित की गयी। सामान्य भविष्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात् आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस की जाय।

दिनांक..... स्वीकृति प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

विज्ञप्ति / सेवानिवृत्ति

31 मई, 2016 ई0

संख्या 1137 / X–1–2017–14(09) / 2014–श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, उप निदेशक, सांख्यिकीय, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून, जिनकी जन्मतिथि 09.10.1957 (नौ अक्टूबर, उन्नीस सौ सत्तावन) है, 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.10.2017 के अपराह्न को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट / 315–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई0 (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

June 09, 2017

No. 165/UHC/XIV/34/Admin.A--Sri Kawer Sain, District Judge, Pauri Garhwal is hereby sanctioned medical leave for 08 days *w.e.f.* 21.05.2017 to 28.05.2017.

NOTIFICATION

June 09, 2017

No. 166/UHC/XIV-a-28/Admin.A/2011--Sri Mohd. Yaqoob, 3rd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned **paternity leave** for 15 days *w.e.f.* 17.05.2017 to 31.05.2017, in terms of G.O. No. 819/xxxvii(7)34/2010-11, dated 31.12.2013.

NOTIFICATION

June 09, 2017

No. 167/UHC/XIV-a-16/Admin.A/2009--Sri Yogendra Kumar Sagar, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 15.05.2017 to 27.05.2017 with permission to prefix 13.05.2017 & 14.05.2017 as second Saturday and Sunday holidays and suffix 28.05.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 09, 2017

No. 168/XIV-a/56/Admin.A/2012--Ms. Seema Dungarakoti, 2nd Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 22.05.2017 to 31.05.2017 with permission to prefix 21.05.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

June 09, 2017

No. 169/UHC/XIV/46/Admin.A/2003--Sri B. S. Dugtal, District & Sessions Judge, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 22.05.2017 to 31.05.2017 with permission to prefix 21.05.2017 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(विधि–अनुभाग)

25 मई, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रुद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 917/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 365/2017/17(120)/XXVII(8)/2014, दिनांक 22 मई, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख की अगली तारीख से अधिसूचना संख्या 192/2016/17(120)/XXVII(8)/2014, दिनांक 02 मार्च, 2016 विखण्डित समझी जायेगी, किये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

22 मई, 2017 ई0

संख्या 365/2017/17(120)/XXVII(8)/2014–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है,

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम, 2015 (अधिनियम सं0 23, वर्ष 2015) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, वर्ष 1904), (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त), की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख की अगली तारीख से अधिसूचना संख्या 192/2016/17(120)/XXVII(8)/2014, दिनांक 02 मार्च, 2016 विखण्डित समझी जायेगी।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification **No. 365/2017/17(120)/XXVII(8)/2014**, dated May 22, 2017 for general information.

NOTIFICATION

May 22, 2017

No. 365/2017/17(120)/XXVII(8)/2014--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of section 3 of the Uttarakhand Cess Act, 2015 (Act no. 23 of 2015) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to direct that, the Notification no. 192/2016/17(120)/XXVII(8)/2014, dated March 02, 2016 shall be deemed rescind, with effect from the next date of issuing date of this Notification in the Gazette.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

कार्यालय–अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यभार प्रमाण–पत्र

03 जून, 2017 ई0

05 जून, 2017 ई0

पत्रांक वाकअधि0/अधि0/तृतीय सदस्य/70(7)(ii)(1)/201/2017–प्रमाणित किया जाता है कि माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र सं0 2085/UHC/XVII–2/Admin.A/2006, दिनांक 03.05.2017 के परिपेक्ष्य में उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना संख्या 362/2017/12(100)/XXVII(8)/2003, दिनांक 01.06.2017 के अनुक्रम में मेरे द्वारा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून पीठ के पद का कार्यभार आज दिनांक 03.06.2017 की पूर्वान्ह में छोड़ दिया गया।

श्रीमती शादाब बानो,
एच0जे0एस0
सदस्य,
वाणिज्य कर अधिकरण,
देहरादून पीठ, देहरादून।

प्रतिहस्ताक्षर,
ह0 (अस्पष्ट),
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/315–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई0 (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

पंचायती राज विभाग

16 मई, 2017 ई0

संख्या 1180/23–6(3)(2015–2016)–जिला पंचायत, टिहरी द्वारा उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत, टिहरी अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले हिण्डोलाखाल वाहन शुल्क वसूली चौकी की संशोधित दरों से सम्बन्धित उपविधि बनाई गई है।

अतएव, अधिनियम की धारा 242(2) की अपेक्षानुसार आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी उक्त उपविधियों की शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ पुष्टि करते है। यह उपविधियाँ उत्तराखण्ड के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

कार्यालय जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल

हिण्डोलाखाल माल वाहन शुल्क वसूली चौकी की संशोधित दरों से सम्बन्धित उपविधियाँ

सूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239(2) व 145 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल द्वारा पूर्व में शासकीय विज्ञप्ति संख्या 6 जून, 1998 में प्रकाशित की गई थी, पूर्व में स्वीकृत दरों में संशोधन करती है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त उपविधियों पर आपत्ति हो तो सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्तर्गत जिला पंचायत, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय में अपनी लिखित आपत्तियों के कारणों सहित कार्यालय समय में प्रस्तुत कर दें। 30 दिन के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा एवं 30 दिन के पश्चात् उपविधियाँ, अधिनियम की धारा 242(2), आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी।

दरें निम्नवत् हैं:–

क्र0 सं0	पूर्व में दरें प्रतिदिन	वर्तमान में संशोधित स्वीकृत दरें प्रतिदिन
1.	ट्रक, डम्पर आदि, 90 क्विंतल तक ₹ 30	ट्रक, डम्पर आदि 90 क्विंतल तक ₹ 50
2.	टैम्पो, यूटीलिटी आदि, 30 क्विंतल तक ₹ 25	टैम्पो, यूटीलिटी आदि, 30 क्विंतल तक ₹ 30
3.	ट्राला आदि भारी वाहन	ट्राला आदि भारी वाहन ₹ 100
4.	प्रति भैंस – ₹ 10	प्रति भैंस – ₹ 20
	प्रति बकरी – ₹ 5	प्रति बकरी –₹ 10
	प्रति बैल – ₹ 10	प्रति बैल – ₹ 20

शास्ति (दण्ड)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में किसी भी एक उपविधि का उल्लंघन करने पर ऐसे उल्लंघनकर्ता की न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 1000 ₹ (एक हजार रु0) तक का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन जारी हो, 100 ₹ प्रतिदिन की हर जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर पांच माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
टिहरी गढ़वाल।

विनोद शर्मा,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अल्मोड़ा

सूचना

24 मई, 2017 ई0

संख्या 41/त्रि0पं0उप नि0/2017–राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 120/रा0नि0आ0अनु0–2/2156/2017, दिनांक 23.05.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में मैं, सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0), अल्मोड़ा संलग्नक प्रारूप–1, प्रारूप–2 व प्रारूप–3 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के सदस्यों, प्रधान, ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों/स्थानों के उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय–सारिणी के अनुसार सूचित करता हूँ:–

नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जाँच का दिनांक व समय	नाम वापसी हेतु दिनांक व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6
29.05.2017 एवं 30.05.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	31.05.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	01.06.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक)	02.06.2017 (पूर्वाह्न 10:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.06.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक)	15.06.2017 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा भी सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और सम्बन्धित तहसील के सूचना पटों में यह कार्यक्रम प्रकाशित किये जायेंगे।

3. नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जायेगी।

4. उक्त उप निर्वाचन (उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त एवं यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त एवं यथा संशोधित) तथा तद्धीन प्रख्यापित निर्वाचक नामावली के अनुसार इन निर्वाचनों में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनाई जायेगी, जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। इन पदों/स्थानों के विषय में नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी जांच, नाम वापसी तथा निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने का कार्य, मतों की गणना एवं परिणाम की घोषणा क्षेत्र पंचायत के मुख्यालय पर की जायेगी।

प्रारुप–1

सदस्य, ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का क्रमांक	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4	5
1.	हवालबाग (23)	केस्ता	1	अन्य महिला
2.		खत्याड़ी	7	अ0जा0 महिला
3.		टाटीक	5	अ0जा0 महिला
4.		डाल	5	अ0जा0 महिला
5.			7	अनु0जाति
6.		धामस	5	अ0जा0 महिला
7.		धामस	9	अनु0 जाति
8.		फलसीमा	5	अ0जा0 महिला
9.		मटेलाअधार	4	अ0जा0 महिला
10.		माल	3	अ0जा0 महिला
11.		माल	4	अनु0 जाति
12.		माल	10	अनारक्षित
13.		माल	11	अनारक्षित
14.		रणखिला	7	अनु0 जाति
15.		बड़सीमी	1	अ0जा0 महिला
16.		बंसर	2	अ0जा0 महिला
17.		भाटन्यालज्यूला	1	अन्य महिला
18.		सरसों	6	अनारक्षित
19.		पाखुड़ा	2	अनारक्षित

1	2	3	4	5
20.			3	अन्य महिला
21.	हवालबाग	मनाऊ	1	अन्य महिला
22.	(23)	मैचोड़	5	अनारक्षित
23.		ज्योली	5	अनु0 जाति
24.		दन्या	7	अनु0 जाति
25.		मेल्टाजोल	1	अ0जा0 महिला
26.		मेल्टाजोल	5	अनारक्षित
27.		देवतलीगूँठ	3	अ0जा0 महिला
28.		चमुवाखालसा	7	पि0व0 महिला
29.	धौलादेवी	आरासल्पड	9	पि0व0 महिला
30.	(12)	बलसूना	4	अन्य महिला
31.		बलसूना	5	अनारक्षित
32.		तडकोट	3	अनु0 जाति
33.		चामी	6	अनु0 जाति
34.		क्वैराली	2	अनारक्षित
35.		नौगाँव	7	अन्य महिला
36.		ओलियागाँव	3	अनारक्षित
37.		आगररौलकुड़ी	2	अनारक्षित
38.	ताकुला	सुनोली	1	अनारक्षित
39.	(6)	अर्जुनराठ	5	अनारक्षित
40.		गुरूड़ा	5	अनारक्षित
41.		बछुराड़ी	1	अ0जा0 महिला
42.		अछरौन	4	अ0जा0 महिला
43.		अछरौन	5	अनु0 जाति
44.		इनलो	4	अ0जा0 महिला
45.		इनलो	5	अनु0 जाति
46.		कनगड़ी	2	अ0जा0 महिला
47.		कनगड़ी	3	अनु0 जाति
48.		कानेखलपाटी	4	अन्य महिला
49.		कूपी	2	अ0जा0 महिला
50.		चौना	2	अनारक्षित
51.	सल्ट	चौना	5	अन्य महिला
52.	(19)	जालीखान	2	अ0जा0 महिला
53.		तोल्यों	5	अनु0 जाति
54.		दन्यूड़ा	1	अ0जा0 महिला
55.		नदोली	5	अ0जा0 महिला
56.		मन्हैत	5	पि0व0 महिला
57.		रणथमल	3	अनु0 जाति
58.		सबोलीरौतेला	3	अन्य महिला
59.		सबोलीरौतेला	5	अ0जा0 महिला
60.		गढ़कोट मल्ला	2	अनारक्षित

1	2	3	4	5
61.	द्वाराहाट (1)	गनोली	1	अन्य महिला
62.	स्याल्दे (3)	बरंगल	7	अन्य महिला
63.		उप्राड़ी	4	अन्य महिला
64.		बवाड़ीकिचार	4	अनारक्षित
65.	ताड़ीखेत (3)	जोग्याड़ी	5	अनारक्षित
66.		तिपोला	4	अनारक्षित
67.		जैनोली	2	अन्य महिला
68.	भिकियासैंण (4)	निगराली	2	अनारक्षित
69.		सुरे	2	अनारक्षित
70.		खुरुड़ी	2	अनारक्षित
71.		सनणा	2	अनारक्षित
72.	लमगड़ा (2)	चौकुना	1	पि0व0 महिला
73.		सांगणसाहू	5	अनारक्षित

प्रारुप–2

प्रधान, ग्राम पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	ताड़ीखेत	ऐरोली	अनारक्षित
2.	सल्ट	पीनाकोट	अनारक्षित
3.		मौलेख	अनारक्षित
4.	ताकुला	बसोली	अनुसूचित जाति
5.	भिकियासैंण	मयोली	अनु0जाति महिला

प्रारुप–3

सदस्य, क्षेत्र पंचायत के रिक्त पदों/स्थानों का विवरण

जनपद का नाम–अल्मोड़ा

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	क्षेत्र पंचायत का क्रमांक व नाम	आरक्षण की स्थिति
1	2	3	4
1.	स्याल्दे	34–तल्लाभाकुड़ा	अनारक्षित
2.	लमगड़ा	33–खांकर	अनारक्षित

सविन बंसल,
जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0),
अल्मोड़ा।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/315–भाग 3–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई0 (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

अधिसूचना

दिनांक : 01 जून, 2017 ई0

संख्या 154/UKD/2017-P.Admn–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्रीमती राधा रतूड़ी, आई0ए0एस0 के स्थान पर डा0 उमाकांत पंवार, आई0ए0एस0 (यू0के0डी0 1991) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. डा0 उमाकांत पंवार, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. डा0 उमाकांत पंवार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के रूप में कार्य करते हुए उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जायेगा।

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग,
प्रधान सचिव।

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

NOTIFICATION

June 01, 2017

No. 154/UKD/2017-P.Admn.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Uttarakhand hereby nominates Dr. Umakant Panwar, IAS, (UKD:1991) as the Chief Electoral Officer for the State of Uttarakhand with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Smt. Radha Raturi, I.A.S.

2. Dr. Umakant Panwar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Uttarakhand, which he may be holding before such assumption of office.

3. Dr. Umakant Panwar while functioning as the Chief Electoral Officer, Uttarakhand shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Uttarakhand except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/315–भाग 7–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 जून, 2017 ई0 (आषाढ़ 03, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ

सार्वजनिक सूचना

03 मार्च, 2017 ई0

संख्या–719/उपविधि/2016–17–नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ, जनपद चमोली में उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 के अन्तर्गत तथा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध उपविधि, 2016 बनायी जाती है। जो उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, जोशीमठ को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016

1. संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

(1) यह उपविधि नगरपालिका, जोशीमठ नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) उपविधि, 2016 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह उपविधि सरकारी गजट, उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएँ :

i. "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित/क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

ii. "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जो उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त है, के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।

iii. "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243(थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगरपालिका से है।

iv. "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ के अधिशासी अधिकारी से है।

v. "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरपालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्य के लिए शासन/नगरपालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

vi. "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया हो।

vii. "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000, असाधारण अधिसूचना नई दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये हैं।

viii. "अधिनियम" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है, जो उत्तराखण्ड में भी यथाप्रवृत्त से है।

ix. "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

x. "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

xi. "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

xii. "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" अपशिष्ट से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसकी उत्पत्ति मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

xiii. "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

xiv. "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थों का जैविक निम्नकरण अन्तर्वलित है।

xv. "ढहाव तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Dimolition and construction)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त रोडियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

xvi. "व्ययन (Disposal)" से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

xvii. "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण कर निपटान, अभिप्रेत है।

xviii. "निक्षालितक (Leachate)" वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

xix. "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में म्युनिसपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

xx. "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्राय नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ से है।

xxi. "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्य तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

xxii. "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों को प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। प्रसंस्करण से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

xxiii. "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

xxiv. "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य ओर परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

xxv. "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों को आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

xxvi "परिवहन" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

3. कोई भी व्यक्ति/स्थापन नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर, जो नगरपालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

4. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापना द्वारा उक्त बिन्दु 4 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगरपालिका/सुविधा प्रचालक को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित की जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क लिए जायेंगे।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगरपालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्टों (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारिता जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और नहीं जलवायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार, निरीक्षण अधिकारी को होगा।

11. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा नगरपालिका परिषद्/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

12. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 05.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी। यह वृद्धि बोर्ड स्वीकृति के अधीन होगी।

13. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है तो प्रथम बार ₹ 200.00, द्वितीय समय ₹ 500 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,000 अर्थदण्ड देना होगा।

14. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500, द्वितीय समय ₹ 1,000 एवं तृतीय स्थिति में ₹ 1,500 का अर्थदण्ड देना होगा। यह कि नगरीय क्षेत्र में निम्नलिखित निर्धारित यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1

सेवा शुल्क (user charges)

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादन की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रति माह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि, ₹ में			
		जैविक–अजैविक कूड़ा अलग–अलग पहुँचाने पर ₹	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर ₹	जैविक–अजैविक कूड़ा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर ₹	जो व्यक्ति घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा दे ₹
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	20	25	25	30
2.	मध्यम वर्ग, कम आय वाले घर	30	40	40	50
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	50	60	60	75
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	500	600	600	700
5.	रेस्टोरेन्ट	500	600	600	700
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	150	200	200	250
7.	धर्मशाला	100	150	150	200
8.	बारातघर (बारात दिवस में ₹ 500/–)	350	400	400	500
9.	बेकरी	100	150	150	175
10.	कार्यालय	50	60	60	75
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	50	70	70	75
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	50	60	60	75
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	500	600	600	700
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	500	600	600	700
15.	दुकान	50	60	60	70
16.	फैक्ट्री	1,500	1,600	1,600	1,800
17.	वर्कशॉप/कबाड़ी	1,500	1,600	1,600	1,800
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता/चाट वाले	500	600	600	700
19.	मीट विक्रेता	500	600	600	700
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	500 आयोजन दिवस में, प्रतिदिन ₹ 1,000	600	600	700
21.	ढहान तथा निर्माण कारपेन्टर सम्बन्धी अपशिष्ट	1,000	1,200	1,200	1,500

जैविक (Biodegradable) अपशिष्ट	पुनर्चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लॉस्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके, फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सेल क्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाडे से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लोचें, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटामय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा खाली डिब्बे
		इन्जेक्शन सुई तथा सिरिंज, खराब दवाईयाँ, कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब, ट्यूब लाईट तथा छोटे पलासेन्ट बल्ब, थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गाँव थ्रीनर तथा उनके डिब्बे, फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जो उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त है, की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियमावली, 2000 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा, जिसके लिए कम से कम ₹ 500 एवं अधिक से अधिक ₹ 5,000 का अर्थदण्ड अपराध होगा और जब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जाए, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500 प्रतिदिन होगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, जोशीमठ में अन्तिम रूप में निहित होगा।

राजेन्द्र सिंह राणा
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्,
जोशीमठ।

रोहिणी रावत,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्,
जोशीमठ।

सूचना

मेरे शैक्षिक अभिलेखो मे मेरा नाम प्रियंका अरोडा दर्ज है शादी के बाद मेने अपना नाम पूजा नेगी रख लिया है भविष्य मे मुझे पूजा नेगी पत्नी अमर सिह नेगी नाम से जाना पहचाना जाये। समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

पूजा नेगी
पत्नी श्री अमर सिह नेगी
निवासी 319 चन्द्रेश्वर नगर
ऋषिकेश।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 हिन्दी गजट/315–भाग 8–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।